

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाइन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक- 555/सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज II/2017/2474। दिनांक 27/11/2017

प्रशासनिक स्वीकृति

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (शहरी) के द्वितीय चरण में शामिल राज्य के 391 शहरों में से 113 एवं 40 शहरों के लिए जारी की गयी प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज II/2017/15328-15571 दिनांक 18.10.17 एवं क्रमांक सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज II/2017/4590-4834 दिनांक 26.10.17 की निम्नतरता में अतिरिक्त 9 शहरों में निम्न प्रकार के कार्य निम्नानुसार आवंटित राशि तक करवाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

S. N.	Town Name	District Name	Cost (in Lakhs)					Total	
			Bawaris	RTWHIS	TEC	Afforestation	Contingency		
1	2	3	4	5	7	6	8	9	
1	Sirohi	Sirohi	15.22	26.43	3.00	11.52	2.81	58.98	
2	Milpura	Tonk	0.00	132.33	2.00	28.13	9.12	191.58	
3	Bandikui	Dausa	0.00	39.62	2.00	0.00	2.08	43.70	
4	Dausa		8.30	267.06	3.00	5.25	14.18	297.79	
5	Jodhpur	Jodhpur	14.03	0.00	5.00	0.00	0.95	19.98	
6	Badi Jodri		21.27	10.54	2.00	9.90	2.19	45.90	
7	Dholpur	Dholpur	474.00	36.78	3.00	0.00	25.69	539.47	
8	Ajmer	Ajmer	0.00	114.57	5.00	20.00	6.98	146.55	
9	Bejar	Chinorgarh	1.90	29.97	2.00	5.04	1.95	40.95	
10	Salunke	Udaipur	AS issued vide letter no- 15328-15571 dated 18.10.17				11.78	0.59	12.37
Total			534.81	677.30	27.00	91.62	66.54	1397.27	

नोट-

1. उपरोक्त कार्य आवंटित राशि तक की सीमा में ही करवाये जायें।
2. उक्त कार्यों की दितीय स्वीकृति सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी।
3. उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी करवाये जाने के उपरान्त कार्य करवाये जायें।

P.T.O.

